विनियोग संख्या 62 - भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 62–SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*53,26,00*			
			56,74,00	*52,92,73*	*–3,81,27*
पूरक	*Supplementary*	*3,48,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,80,25*

टीका और टिप्पणियां

1. *विनियोग* में, कुल बचतें (*381.27 लाख रु.*) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए *348.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 7 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *appropriation*, the overall savings (*Rs.381.27 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.348.00 lakhs* obtained in March, 2008 and constituted 7 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2014''	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*5326.00*			
पू.	*S.*	*348.00*	*5293.75*	*5292.73*	*–1.02*
पु.	*R.*	*–380.25*			

(I) ''उच्चतम न्यायालय - स्थापना'' के अंतर्गत *5326.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *348.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *5674.00 लाख रु.* कर दिया गया, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने और सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बकाया के बिल प्राप्त न होने के कारण *381.27 लाख रु.* (पूरक *विनियोग सहित*) की बचत हुई।

(I) Under "Supreme Court – Establishment" – the original *appropriation* of *Rs.5326.00 lakhs* was augmented to *Rs.5674.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.348.00 lakhs.* However, there was a saving of *Rs.381.27 lakhs* (including supplementary *appropriation)* – due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of bills of arrears of pay and allowances of retired officers.